भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2194
उत्तर देने की तारीख 09 दिसंबर, 2024
18 अग्रहायण, 1946 (शक)

खिलाड़ियों का कल्याण

2194. डॉ. जयंत कुमार राय:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खेल प्रतियोगिताओं में प्रशिक्षण और सहभागिता के लिए खिलाड़ियों की सहायता करने के लिए कदम उठाए हैं; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नही, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) और (ख): ''खेल'' राज्य का विषय होने के कारण, एथलीटों और कोचों को प्रशिक्षण सुविधाएं और संसाधन प्रदान करने सहित खेलों के संवर्धन और विकास की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों की है। तथापि, केंद्र सरकार (युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय) अपनी विभिन्न स्कीमों के माध्यम से उनके प्रयासों में सहायता करती है।

राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) को सहायता स्कीम के तहत, सरकार भारतीय एथलीटों/टीमों की तैयारी और भागीदारी के लिए मान्यता प्राप्त एनएसएफ को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हालाँकि, अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं की तैयारी एक सतत प्रक्रिया है। अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं के लिए खिलाड़ियों/टीमों की तैयारी के लिए प्रशिक्षण, प्रतियोगिता संबंधी एक्सपोजर, विदेशी कोचों सहित कोचों और सहायक कर्मियों से संबंधित एनएसएफ की योजनाओं/प्रस्तावों पर विचार-विमर्श और निर्धारण, प्रशिक्षण और प्रतियोगिता के लिए वार्षिक कैलेंडर (एसीटीसी) की बैठकों में किया जाता है।

टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टॉप्स) के अंतर्गत, कोर ग्रुप एथलीटों को 50,000 रु. प्रति माह और विकास समूह एथलीटों को 25,000 रु. प्रति माह का आउट ऑफ पॉकेट भत्ता देने के अतिरिक्त सरकार प्रमुख अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए पहचाने गए संभावित एथलीटों को अपेक्षित सहायता प्रदान करती है, जिसमें विदेशी प्रशिक्षण, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता, उपकरण, शारीरिक ट्रेनर, खेल मनोवैज्ञानिक, मानसिक ट्रेनर और फिजियोथेरेपिस्ट जैसे सहायक स्टाफ/कार्मिकों की सेवाएं शामिल हैं।

खेलो इंडिया स्कीम के तहत, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं, यथा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 18 वर्ष से कम उम्र के एथलीटों के लिए प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं, जो युवा एथलीटों को बड़े पैमाने पर मंच प्रदान करते हैं और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, उच्च प्राथमिकता/प्राथमिकता/अन्य खेल विधाओं के

लिए आयोजित किए जाते हैं, जो विश्वविद्यालय स्तर के एथलीटों के बीच खेल प्रदर्शन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके साथ ही, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, जम्मू और कश्मीर तथा लेह-लद्दाख जैसे क्षेत्रों में शीतकालीन खेलों के लिए आयोजित किए जाते हैं ; और खेलो इंडिया पैरा गेम्स दिव्यांग एथलीटों के लिए अवसर पैदा करके समावेशिता को बढ़ावा देते हैं। इन स्पर्धाओं के माध्यम से, पैरा-स्पोर्ट्स सहित 21 खेल विधाओं में 2,781 खेलो इंडिया एथलीटों (केआईए) की पहचान की गई है और उन्हें सहायता दी है। इन एथलीटों को 301 मान्यता प्राप्त अकादमियों में उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण मिलता है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) 12 वर्ष से अधिक आयु के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करने और उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता हासिल करने के लिए तैयार करने हेतु देश भर में निम्नलिखित खेल संवर्धन स्कीमें लागू करता है -

- राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई)
- साई प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी)
- एसटीसी का विस्तार केंद्र
- राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसटीसी)

(इसकी उप-स्कीमें - नियमित स्कूल और गोद लिए गए अखाड़े)

साई की खेल प्रोत्साहन स्कीमों को लागू करने के लिए देश भर में कुल 177 साई केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें एनसीओई और एसटीसी, एसटीसी के विस्तार केंद्र, एनएसटीसी स्कीमें आदि शामिल हैं। वर्तमान में, 9416 एथलीटों (5664 लड़के और 3752 लड़कियाँ) को आवासीय और गैर-आवासीय आधार पर 27 खेल विधाओं में प्रशिक्षित किया जा रहा है।

भारतीय खेल प्राधिकरण की खेल संवर्धन स्कीमों के अंतर्गत प्रतियोगिता संबंधी एक्सपोजर देने हेतु निम्नानुसार प्रावधान किया गया है:

(क) घरेलू प्रतियोगिता:

(i) एनसीओई के लिए प्रति एथलीट प्रति वर्ष ₹50000/-।
(ii) एसटीसी के लिए प्रति एथलीट प्रति वर्ष ₹6000/-
(iii) पूर्वोत्तर राज्यों में एसटीसी के एथलीटों के लिए प्रति वर्ष ₹8000/-
(iv) द्वीपीय क्षेत्रों में एसटीसी के एथलीटों के लिए प्रति वर्ष ₹20000/-।
(v) एसटीसी के विस्तार केंद्रों के लिए प्रति खिलाड़ी प्रति वर्ष ₹3000/-
(vi) एनएसटीसी के नियमित स्कूल के लिए प्रति एथलीट प्रति वर्ष ₹2000/-
(vii) एनएसटीसी के गोद लिए गए अखाड़ों के लिए प्रति खिलाड़ी प्रति वर्ष ₹3000/-

(ख) विदेशी प्रतियोगिता/प्रशिक्षण एक्सपोजर:

सरकार ने एनसीओई और एसटीसी के योग्य एथलीटों के विदेशी प्रतियोगिता/प्रशिक्षण के एक्सपोजर और विकास हेतु प्रति वर्ष ₹15.00 करोड़ का प्रावधान किया है।

******